राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नवातला तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 627/2017

प्रार्थीगण :–

1. देवाराम पुत्र सारूपाराम
2. डूंगराराम पुत्र सारूपाराम
3. रायचंदराम पुत्र सारूपाराम
4. तेजाराम पुत्र सारूपाराम
5. बाबूदेवी पत्नि पुत्र सारूपाराम
6. सवाईराम पुत्र पेमाराम
7. लादूराम पुत्र पेमाराम
8. पुरखाराम पुत्र पेमाराम
9. दीपराम पुत्र पन्नाराम सभी जाति जाट निवासी नवातला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रूपाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
2. लुंभाराम पुत्र उम्मेदाराम जाट
3. प्रयागसिंह पुत्र लखसिंह राजपूत
4. सारूपराम पुत्र चौखाराम जाट
5. गजेंसिंह पुत्र आईदानसिंह
6. सागतसिंह पुत्र रूपसिंह
7. अर्जुनसिंह पुत्र कानसिंह
8. सागतसिंह पुत्र आईदानसिंह
9. नरपतसिंह पुत्र आईदानसिंह
10. रतनसिंह पुत्र भैरूसिंह
11. भैरूसिंह पुत्र सोहनसिंह
12. मगसिंह पुत्र आईदानसिंह
13. जसवंतसिंह पुत्र मगसिंह
14. सणसिंह पुत्र सोहनसिंह
15. भैरूसिंह पुत्र आईदानसिंह
16. भंवरसिंह पुत्र बलवंतसिंह
17. शैतानसिंह पुत्र किशनसिंह सभी जाति राजपूत
18. पुखराज पुत्र तिलाराम
19. चनणाराम पुत्र तिलाराम
20. भारत पुत्र गणपतराम
21. सज्जन पुत्र गणपतराम
22. हेमाराम पुत्र गणपतराम
23. मूलाराम पत्र नारणाराम
24. हस्तीराम पुत्र नारणाराम सभी जाति दर्जी
25. रायताराम पुत्र पूनाराम
26. मिश्राराम पुत्र पूनाराम

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..[illegible]

Scanned by CamScanner

27. मूलाराम पुत्र पूनमाराम

28. राणाराम पुत्र सरूपाराम जाति जाट

29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश दिनांक : 12.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार नवतला में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 589 रकबा 0.12 बीघा, ख0न0 661 रकाव 0.05 बीघा, ख0न0 662 रकवा 40.03 बीघा, ख0न0 1877/590 रकवा 114.05 वीघा, ख0न0 1878/590 रकवा 40 बीघा मौजा नवातला खेडा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 28 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद वना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमवन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 19 उपस्थित दीगर विप्रार्थीगणों को सम्मन वाद प्राप्ति की पोस्टल रसीदे पेश हुई। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता पाटोदी को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)

...अधिकारी ... अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

Scanned by CamScanner